



सहायक कलेक्टर  
(अर्थशास्त्र),  
राजसमिती,  
जयपुर

उपरोक्त अवगण से संबंधित प्रकरण में आपकी 500/- रुपया शुल्क पर  
कमिश्नरत नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है।  
बात तहसील राधाजी में स्थित आराजी संख्या 1057, 818 की दोनो पक्षकानन  
की उपस्थिति में घाटी ओट रिवाडी की पुस्तिका पत्थरवादी अगार और पर किस्ती  
प्रकार का कोई विवाद एवं किस्ती न्यायालय द्वारा कोई स्थान प्रभावी न हो तो  
तथा और पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरवादी की जात, और पर किस्ती प्रकार  
का विवाद हो तो पत्थरवादी नहीं कि जात एवं इसी आदेश का पूर्ण मोका  
पुष्टित करता है। कमिश्नरत शुल्क का रिफाई विधान संघटित किया जाकर पालना  
रिपोर्ट मय पूर्ण मोका पेश करे।

**--: प्रथम पक्ष बाबत कसबे जाते पत्थरवादी --:**

प्रथम पक्ष संख्या :- 81 / 2022

अप्रतिभाष

1 श्री बन्दीप पिता रूपलाल जाति वर्त अवि वरक विवासी बा  
तहसील राधाजी जिला चित्तौड़गढ़।  
बनाम

प्रतिभाष

1 श्री शांभालाल पुत्र हीरा जाति जाट उक्त वरक पेशा कारा  
बात तहसील राधाजी जिला चित्तौड़गढ़।

विषय :- बाबत पत्थरवादी।

राधाजी

तहसीलद्वारा

जिलागत,

क्रमांक/संख्या 5-08(81) 2022/

दिनांक : 9/1/2022

**जयशंकर सहायक कलेक्टर राधाजी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**

Email :- sdorashmi@gmail.com

दूरभाष (कार्यालय) :- 01471 226700

